

/— न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ज्ञानगढ व भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ज्ञानगढ पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073-76 में खाता संख्या आ.नं. 1987 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	ज्ञानगढ	आ.नं. 1987, 1986,	वर्तमान जम्मे में तरकीम आ.नं. 1987	वर्तमान जमीन मालिक मोका डिपॉजिट अधिसूचना तहसील करेड़ा में दर्ज की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 31/11/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 25

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्रीमती गीता देवी

PP25/2021

2021/726

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा